CUTS International

PRESS RELEASE

CONSUMER UNITY & TRUST SOCIETY - A registered, recognised, non-partisan, non-profit and non-government organisation pursuing social justice and economic equity within and across borders

आम जन के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु पृष्ठ खाद्य चेतावनी बहुत जरूरी

जयपुर, 03 जुलाई, 2018।

'कट्स' इन्टरनेशनल एवं वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के साथ मिलकर हृदय एवं धमीनी रोगों से होने वाली मौतों पर नियंत्रण के लिए खाद्य एवं पेय पदार्थों पर अनिवार्यतः 'फ्रंट ऑफ पैकेज चेतावनी लेबल' लगाने का आग्रह किया है। खाद्य एवं पेय पदार्थों में ट्रांस वसा, सोडियम एवं चीनी की अधिकता से हृदय रोगों को बढ़ावा मिल रहा है। इसके परिणामस्वरूप भारत एवं दुनियाभर में समय पूर्व मौतों में वृद्धि हो रही है। फ्रंट ऑफ पैकेज चेतावनी लेबल स्वास्थ्यकर भोजन के बारे में उपभोक्ताओं की जानकारी बढ़ाते हैं।

उत्तरी कैरालिना विश्वविद्यालय के पोषण विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉ. आर. केवन, डॉ. वैरी पॉपकिन ने कहा कि ''उपभोक्ताओं को सही जानकारी रखने की आवश्यकता है कि वे क्या खा रहे हैं।' अनिवार्य फ्रंट ऑफ पैकेज चेतावनी लेबल को दुनिया भर की सरकारें 'आहार में सुधार' के लिए एक प्रभावी एवं साक्ष्य आधारित उपाय के रूप में प्रस्तुत कर रही है। डॉ. पॉपकिन, उन 28 अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पोषण विशेषज्ञों में से एक है, जिन्होंने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के 'खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग व प्रस्तुतिकरण) नियमन 2018 के मसौदे पर अपने सुझाव प्रस्तुत किये हैं।

खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.आई.), जो भारत में खाद्य सुरक्षा को नियंत्रित करता है, वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) द्वारा वैश्विक मांग के अनुसार खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियमन, 2018 के मसौदे पर टिप्पणियों को प्राप्त व संशेधित करने की प्रक्रिया में है। डब्ल्यू.एच.ओ. 2023 तक ट्रांस वसा के उपयोग को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योकि औद्योगिक रूप से उत्पादित खाद्य तेल प्रति वर्ष 10 मिलियन से अधिक समय पूर्व मौतों को बढ़ा रहा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 2022 तक खाद्य तेलों में वर्तमान अनुमति स्तर से 5 से 2 तक ट्रांस वसा की मात्रा को घटाने के लिए प्रतिबद्ध है।

विशेषज्ञ समूह (वाल्टर विलेट, एम.डी., डी.आर.पी.एच., पोषण और महामारी विज्ञान के प्रोफेसर हार्वर्ड टी चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और दक्षिण अफ्रीकाके विंटवाटरैंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर करने होफमैन) ने शाकाहारी खाद्य पदार्थों को स्पष्टतः चिन्हित करने व उच्च सोडियम व वसा वाले खाद्य पदार्थों पर चेतावनी अंकित करवाने के लिए एफ.एस.एस.आई. की प्रशंसा की। विशेषज्ञों ने नियमों को सशक्त करने के लिए और परिवर्तन की मांग की। जिसमें निम्न शामिल हैंः

- <u>उच्च ट्रांस व संतृप्त वसा, सोडियम व चीनी वाले खाद्य पदार्थों पर अनिवार्य फ्रंट ऑफ पैकेज लेबल</u>ः जैसा कि एफ.एस.एस.ए.आई. वर्ष 2022 तक खाद्य तेलों में ट्रांस वसा की वर्तमान अनुमति स्तर में 5 से 2 प्रतिशत की कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है, विशेषज्ञ समूह ने अनुशंसा की है कि खाद्य उत्पाद में मौजूद ट्रांस व संतृप्त वसा की मात्रा को भी चेतावनी लेबल में जोड़ा जाना चाहिए साथ ही कृत्रिम वसा युक्त खाद्य पदार्थों के लिए भी चेतावनी लेबल होना चाहिए।
- फ्रंट ऑफ पैकेज लेबल डिजाइन जो कि जागरूकता बढ़ाने और खाद्य पदार्थों के तौर–तरीकों में परिवर्तन लाने में स्पष्ट और प्रभावशाली है। वर्तमान में, निर्माता जटिल पोषण लंबल के विभिन्न प्रारूपों का उपयोग कर रहे हैं जो उपभोक्ताओं के अनुकूल नहीं है। अपने सुझाव प्रस्तुत करते समय विशेषज्ञों ने चिली में प्रचलित चेतावनी लेबल व्यवस्था का उदाहरण दिया, जिसे वर्तमान में

स्वास्थ्य व पोषण विशेषज्ञों के बीच आदर्श मानक के तौर पर स्वीकार किया जा रहा है। इजरायल व उरूग्वे जैसे कई अन्य देशों ने भी समान दृष्टिकोण अपना लिया है या ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं।

- पोषण लेवल से दैनिक मात्रा सम्बंधी दिशानिर्देशों को हटाना: शोध से पता चलता है कि यह भ्रमक है एवं उपभोक्ताओं को स्वस्थ भोजन विकल्प अपनाने में कोई सहायता नहीं करते। विशेषज्ञ समूह ने खाद्य/पेय उत्पाद के प्रति 100 ग्राम/मिली लीटर मौजूद वसा जैसे बेहतर विकल्पों से इसे बदलने का सुझाव दिया।

ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस और थाईलैण्ड समेत दुनिया भर के देशों में इसी तरह की अनुशंसाओं पर विचार किया जा रहा है।

'कट्स' इंटरनेशनल के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने कहा, भारत के लिये यह उन देशों की बढ़ती सूची में शामिल होने का सुअवसर है जिन्होंने 'रोगों की रोकथाम व जीवन की सुरक्षा' 'की दिशा में निर्णायक कदम उठाए हैं। 'हम इस अवसर का उपयोग करने और स्वस्थ भारत के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रतिबिमबित करने के लिए खाद्य लेबलिंग नीतियों को प्रोन्नत करने के लिए एफ.एस.एस.आई. को प्रोत्साहित करते हैं।'

एफ.एस.एस.आई. 2022 तक 5% से 2% के मौजूदा अनुमान स्तर से तेलों में ट्रांस वसा की मात्रा को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। खाद्य पदार्थों में ट्रांस वसा के अनुमति स्तर को वर्ष 2015 मे 10 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत किय गया, जब कि यह मात्रा भी स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं है। ट्रांस वसा, हृदय एवं धमनी रोग, अल्जाइमर, मोटापा, निःसंतान्ता, कैंसर, मधुमेह इत्यादि का प्रमुख कारण है। आज भारत में प्रत्येक 5 में से एक या अधिक मौतों का कारण हृदय एवं धमनी रोग हैं। 'ग्लोबल बर्डन ऑफ डिज़ीज रिपोर्ट– 2017' के अनुसार 1.7 मिलियन मौतें हृदय रोगों के कारण होती हैं। भारत में अपरिपक्व मृत्युदर वर्ष 1990 में 23.3 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2010 में 37 मिलियन तक पहुँच गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक खाद्य आपूर्ति से उद्योग–उत्पादित ट्रांस वसा का निराकरण करने हेतु पिछले महीने 'रिप्लेस' कार्यक्रम की घोषणा की।

———————————————————————————————————

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें'

आकांक्षा चौधरी
प्रोग्राम एसोसिएट
'कट्स' इन्टरनेशनल, जयपुर
मो.: 8800252218, ईमेलः ach@cuts.org